



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

आदेश

निदेशालय के पत्र पृ० क्रमांक टीई/स्था./जयपाल/विद्युत/प्रशासन-III/7311 दिनांक 23.8.2016 द्वारा जारी आदेशो को Withdraw किया जाता है तथा निदेशालय द्वारा जारी आदेश पत्र पृ० क्रमांक टीई/स्था./जयपाल/विद्युत/प्रशासन-III/5069 दिनांक 1.8.2016 लागू रहेंगे अर्थात् श्री जयपाल सिंह, विद्युतकार अनुदेशक के रा.आई.टी.आई., कलाली बलाली से रा.आई.टी.आई., फतेहपुर बिलोच के प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण आदेश लागू रहेंगे।

दिनांक 24.8.2016

अंशज सिंह, आई.एस.
निदेशक

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक केसी/टीई/स्था./जयपाल/विद्युत/प्रशासन-III/7388 दिनांक 24-8-16
उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

- 1 ओ०एस०डी०/सी०एम०।
- 2 पी०एस/आई०टी०एम०।
- 3 पी०एस०/ए०सी०एस०आई०टी०।
- 4 पी०ए०/निदेशक।
- 5 सहायक निदेशक प्रशिक्षण-1 वैबसाईट
- 6 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कलाली बलाली तथा फतेहपुर बिलौच।

24/8/16
सहायक निदेशक (स्थापना-III)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।